न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./72/2025

वीरेन्द्र पुत्र ज्योतिराम आयु 58 वर्ष जाति जाटव निवासी जाटव मोहल्ला करवा रूपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

अर्जुनसिंह पुत्र लक्ष्मण जाति जाटव निवासी जाटव मोहल्ला करवा रूपवास जिला भरतपुर

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री विष्णु बंसल उपखण्ड अधिकारी रूपवास दावा/प्रार्थना पत्र वमुकदमा संख्या–140/2019 उनवानी परवो बनाम अर्जुन वगै0

उपस्थितः–

1–श्री जीतेन्द्र कर्दम अभिभाषक प्रार्थी0,

2–श्री जिनेन्द्र सिंह परमार अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय **दिनांक 26.12.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा मुकदमा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. उनवानी परवो बनाम अर्जुन वगै0 न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में लम्बित है। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी खसरा वं 334/58 रकवा 5 बीघा वाके ग्राम भिडयानी तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है जो प्रार्थी की कब्जे काश्त में है एवं प्रार्थी के पूर्वजों की आराजी है। जिस पर अप्रार्थीगण भूमाफियों की निगाह बनी हुई है। उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम गलत दर्ज हो गई है। जिसके लिए दावा/प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास के यहॉ लम्बित है। नियत तारीख पेशी के दिन भूमाफिया विल्डर कोर्ट के चारों ओर भारी संख्या में इधर उधर न्यायालय के फैसले के इन्तजार में घूम रहे हैं। अदालत के बाहर अप्रार्थी ने प्रार्थी से कहा है कि हमारी विल्डरों के जरिये पीठासीन अधिकारी से मुकदमा अपने पक्ष में फैसला कराने, दावा/टीआई खारिज कराने की बात हो गई है। उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण को गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उपखण्डाधिकारी रूपवास से बात करते हुये एवं उनके चैम्बर से कई बार निकलते हुये देखा है। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र टी.आई. मुकदमा संख्या 140/2019 उनवानी परवो बनाम अर्जुन वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक जिनेन्द्र सिंह परमार उपस्थित आये एवं जबाब प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश किया, जो शामिल मिसिल किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमे में पीठासीन अधिकारी व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा प्रकरण में नजदीक तारीख पेश दे रहे हैं। पीठासीन अधिकारी गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को उपखण्डाधिकारी रूपवास से बात करते हुये एवं उनके चैम्बर से कई बार निकलते हुये देखा है। इस आधार पर विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को यह धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से हमारी बातचीत हो गई हैं मुकदमे का फैसला एन केन प्रकारेण अपने हक में करवा कर रहेगें। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में विचाराधीन दावा प्रार्थना पत्र टी.आई. मुकदमा संख्या 140/2019 उनवानी परवो बनाम अर्जुन वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनका जबाब ही उनकी बहस सुमार की जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के जबाब का अध्ययन किया गया। जबाब में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी रूपवास से अप्रार्थी0 की कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी दावा/प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा नियम

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहाँ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं उसके द्वारा लगाये गये आरोपों की प्रमाणिकता को बल मिल सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी रूपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर